रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 257
No. 2] DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933 [N.C.T.D. No. 257

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

विषय : दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008

सं. 17(14)/डीईआरसी/2010-11/2720.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 (1) की उप-धारा (जेड पी.) के साथ पठित धारा 181 (2) की उप-धारा (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है । दिल्ली ग्रिड कोड की समीक्षा से संबंधित खंड सं. 6.3 के अनुसार, निम्नलिखित खंडों का संशोधन किया गया है और इसे विद्यमान दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 के साथ निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभन**

   (i) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **खंड सं. 8.1 का संशोधन**

एसटीयू अपने इंटरनेट वेबसाइट पर एसटीएस के लिए ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन प्रणाली योजना को प्रकाशित करेगा और इसे अनुरोध किए जाने पर किसी भी व्यक्ति को युक्तिसंगत लागत पर उपलब्ध कराएगा।

एसटीयू और वितरण लाइसेंसधारक प्रत्येक ग्रिड के अपने ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन नेटवर्क और एकल लाइन आरेख (एसएलडी) को भी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

यह दो डिस्काम के बीच परिपथों में लोड फ्लो की योजना का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख करेगा। इसे एसटीयू द्वारा आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट (निष्पादन रिपोर्ट– देखें 8.2 का पैरा 3) में भी शामिल किया जाएगा और वार्षिक आंकड़ों को एसटीयू द्वारा इसकी वेबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा।

नेटवर्क में होने वाले किसी भी परिवर्तन को माह के अंत में एसटीयू और डिस्कॉम के वेबसाइटों पर अद्यतन किया जाएगा।

3. **खंड सं. 8.4 (i) का संशोधन**

8.4 (i) ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन प्रणाली में अगली एमवाईटी अवधि वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 में एसटीएस के लिए योजना का उल्लेख किया जाएगा और इसमें सभी प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए प्रस्तावित राज्य ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन योजनाओं और योजनाओं को सशक्त करने वाले प्रणाली को भी शामिल किया जाएगा।

बशर्ते ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में न केवल राज्य ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित सूचनाएं बल्कि ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रिएक्टर, स्टैटिक वीएआर कम्पनसेटर और फ्लेक्सिबल करंट ट्रांसमिशन प्रणाली (फैक्ट) समेत अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हों:

बशर्ते यह भी कि ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में आयोग के अनुमोदन के पश्चात् परियोजना मूल्यांकन स्तर पर मूल लक्ष्यों के संबंध में, पहचानी गई राज्य ट्रांसमिशन योजनाओं, सब–ट्रांसमिशन योजनाओं और प्रणाली को सशक्त बनाने वाली योजनाओं पर प्राप्त प्रगति के संबंध में सूचनाएं भी शामिल की जाएं। प्रत्येक बृहत कार्य के संबंध में, विलम्ब, यदि कोई हो, के साथ परियोजना की स्थिति की प्रत्येक छह माह में समीक्षा किया जाएगा।

4. **खंड सं. 8.4 का संशोधन – योजना परिचालन समिति**

डीटीएल, 8.4(ii) डिस्कॉम, एनडीएमसी, एमईएस, आईपीजीसीएल/पीपीसीएल के सदस्यों, जो डीजीएम या समकक्ष के रैंक से नीचे के नहीं हों, वाली एक योजना परिचालन समिति एसटीयू के अधीन गठित की जाएगी। योजना परिचालन समिति की भूमिका और दायित्व निम्नलिखित होंगे:–

1) एक एकीकृत और समेकित कार्यान्वयन योजना विकसित करना और उसकी निगरानी करना।

2) परिचालन समिति वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे

क) पांच वर्षों के लिए वर्षवार लोड अनुमान

ख) वार्षिक आधार पर पांच वर्ष की समयावधि में विद्यमान और प्रस्तावित प्रणाली का लोड फ्लो अध्ययन।

ग) इन प्रस्तावों में वितरण लाइसेंसधारकों के बीच विद्युत आदान–प्रदान शामिल होगा।

घ) वितरण लाइसेंसधारक परिचालन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर आधारित सब–ट्रांसमिशन योजना/ रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे। परिचालन समिति की सिफारिश/अनुमोदन बाध्यकारी होगा और वितरण लाइसेंसधारक केवल परिचालन समिति के पूर्व अनुमोदन के बाद ही सब–ट्रांसमिशन योजनाओं में कोई परिवर्तन करेगा।

3) योजना का मानदंड योजना कोड (जिसे तीन माह के भीतर एसटीयू द्वारा तैयार किया जाएगा) के अनुसार होगा।

5. खंड सं. 8.5 का संशोधन

एसटीयू इन विनियमों के अधीन ट्रांसमिशन प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य से उत्पादन क्षमता परिवर्धन, प्रणाली आवर्धन और दीर्घकालिक लोड पूर्वानुमान तथा सर्व–उपलब्धता के लिए सभी मुक्त अधिगम आवेधनों सहित ऐसी सूचना मांग सकता जिसकी इसे आवश्यकता हो: बशर्ते वितरण लाइसेंसधारक अपने संबंधित लाइसेंस क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक लोड पूर्वानुमान विकसित करने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व रखेंगे। वितरण लाइसेंसधारक अपने लोड पूर्वानुमान कार्य में सतत आंकड़ों और पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं और विचलन, यदि कोई हो, के लिए समुचित कारणों/व्याख्याओं के साथ, आयोग द्वारा जारी किए गए एमवाईटी विनियमों और लाइसेंस शर्तों के अधीन विक्रय/मांग पूर्वानुमान के लागू प्रावधानों और निवेदनों द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। बशर्ते यह कि एसटीयू एकीकृत और समेकित कार्यान्वयन योजना विकसित करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करने में इस विनियम के अधीन प्रदान की गई सूचनाओं पर भी विचार करेगा। एसटीयू एक वितरण सेवा द्वारा इसे विद्युत का अंतरण करने के लिए उपयोग की गई दूसरे की परिसंपत्तियों के संबंध में तबतक के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करेगा जबतक सभी वितरण लाइसेंसधारक अन्य वितरण लाइसेंसधारकों की परिसंपत्तियों का उपयोग करने से बचने के लिए प्रणाली विकसित नहीं कर लेते। सभी वितरण लाइसेंसधारक विद्युत का अंतरण करने के लिए दूसरों की परिसंपत्तियों का उपयोग करने से बचने के लिए छह माह के भीतर योजना प्रस्तुत करेंगे।

6. खंड सं. 16.3.2 का संशोधन

16.3.2 एनआरपीसी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रसारण व्यवस्था का समन्वय किया जा रहा है जबकि सुरक्षाओं और प्रसारण व्यवस्थाओं का प्रावधान, एसटीयू द्वारा पृथक रूप से अंतिम रूप प्रदान की जाने वाली योजना के अनुसार, पूरा राज्य ग्रिड में आवधिक रूप से समन्वित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि दूरी–सुरक्षा जैसी प्राथमिक सुरक्षा का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ट्रांसमिशन और वितरण सेवाएं लागत–हिस्सेदारी के आधार विभेदक सुरक्षा स्थापित करने के लिए समन्वय करेंगी।

7. खंड सं. 17.2 का संशोधन

17.2 सभी प्रयोक्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक, जैसाकि कनेक्शन समझौते में निर्धारित है, अपने संबंधित स्तरों पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेंगे:

बशर्ते एसएसडीसी के दिशानिर्देशों, इंटरफेस आवश्यकताओं और ऐसे अन्य दिशानिर्देशों/विनिर्देशों, जो लागू हो, पर विचार करते हुए संचार और आंकड़ा विनिमय के लिए उपकरण/युक्तियां प्रदान की जाएगी। नेटवर्क के प्रभावी निगरानी के लिए एससीएडीए प्रणाली के माध्यम से उत्पादक स्टेशन, वितरण लाइसेंसधारक, राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली (एसटीएस) से सीधे रूप से जुड़े वितरण लाइसेंसधारकों के उपभोक्ता एसएलडीसी से वास्तविक समय आधार पर जुड़े होंगे।

8. खंड सं. 22.11 का संशोधन

22.11 प्रत्येक उत्पादन इकाई (बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन ईकाइयां और गैस टरबाइन इकाइयां जबतक आयोग स्थिति की समीक्षा नहीं कर ले), जब आवृति गिरती है, 105% की अधिकतम सतत रेटिंग की सीमा के अध्यधीन, उत्पादन को तत्काल 5% बढ़ाने में सक्षम होंगी। यदि वर्धित उत्पादन स्तर बनाए नहीं रखा जा सकता, तो पूर्व उत्पादन स्तर पर वापस जाना 1% प्रति मिनट से अधिक तीव्र गति से नहीं होगा:

बशर्ते उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने वाली पचास (50) मेगावाट से अधिक आकार की किसी भी उत्पादन इकाई को केवल एसएलडीसी की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद ही प्रचालन (राज्य ग्रिड के साथ समक्रमित करते हुए) में रखा जाएगा:

वशर्ते यह भी कि प्रयोक्ता प्रयोग की अन्य उत्पादक इकाईयों पर एक अतिरिक्त स्पिनिंग रिजर्व रखकर स्पिनिंग रिजर्व में संगत कमी को पूरा कर सकता है।

9. खंड सं. 22.17 का संशोधन

22.17 (क) एसएलडीसी एनआरएलडीसी, उपयोगकर्ताओं, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों मुक्त अधिगम ग्राहकों के साथ समन्वय में, प्रणाली फ्रीक्वेंसी 49.7 हर्ट्ज तक गिरने पर ग्रिड से आहरण शुद्ध आहरण अनुसूची के भीतर सीमित रखने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(ख) वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक अपने नियंत्रण क्षेत्र में आवश्यक लोड शेडिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी 49.5 हर्ट्ज अथवा उससे कम होने पर कोई अधि आहरण नहीं किया जा सके।

(ग) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक आकस्मिकता प्रक्रिया तैयार करेंगे तथा ऐसी व्यवस्था करेंगे जो संशोधित दिल्ली ग्रिड संहिता की अधिसूचना के दो माह के भीतर, सामान्य तथा/अथवा आकस्मिक स्थितियों के अंतर्गत, एसएलडीसी द्वारा अनुदेशित अनुसार, मांग वियोजन हेतु सक्षमता प्रदान करेगी। ये आकस्मिकता प्रक्रियाएं तथा व्यवस्थाएं वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन की जाएंगी और एसएलडीसी द्वारा अनुवीक्षित की जाएंगी। एसएलडीसी किसी भी वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक को उपरोक्त प्रक्रिया / व्यवस्था में, यदि अपेक्षित है, ग्रिड सुरक्षा के हित में संशोधित करने का निर्देश दे सकता है और संबंधित वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक इन निर्देशों का पालन करेंगे।

(घ) वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक ऊपर दिए गए पैरा 22.17.(क) एवं (ख) के अनुपालन में अधि आहरण कम करने के लिए घूर्णी लोड शेडिंग, मांग प्रत्युत्तर – {अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपयोग में उनकी सामान्य खपत पद्धति की अपेक्षा

कमी करने, मानवीय अथवा स्वचलित रूप से, वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा निम्न फ्रीक्वेंसी पर उनके द्वारा अधि आहरण के कारण उपगत किए जा रहे उच्च यूआई प्रभारों के प्रत्युत्तर में, अथवा ट्रांसमिशन संकुलन उत्पन्न करने हेतु उनके द्वारा उपगत किए जा रहे संकुलन प्रभारों के प्रत्युत्तर में, अथवा प्रणाली आकस्मिकता के उन्मूलन, जिसके लिए उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन अथवा कम टैरिफ लागू किया जा सकता है} इत्यादि जैसे स्वचलित मांग प्रबंधन के लिए भी स्कीम तैयार करेंगे। एसएलडीसी द्वारा स्कीम के विस्तृत विवरण की रिपोर्ट और स्कीमों के कार्यान्वन की प्रगति संबंधी आवधिक रिपोर्ट्स सीईआरसी तथा डीईआरसी को प्रेषित की जाएंगी।

(ङ) आवृति निर्धारित बैंड के भीतर बनाए रखने और नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखने के लिए, अंतरणीय लोड चार समूहों में व्यवस्थित किए जाएंगे, निर्धारित पावर कट्स/लोड शेडिंग हेतु लोड, अनिर्धारित लोड शेडिंग हेतु लोड, न्यून फ्रीक्वेंसी रिलेज/डीएफ/डीटी रिलेज के माध्यम से शेड किए जाने हेतु लोड और आरपीसी स्तर पर चिन्हित किसी प्रणाली संरक्षण स्कीम के तहत शेड किए जाने हेतु लोड। ये लोड इस ढंग से समूहित किए जाएंगे कि लोड्स के भिन्न समूहों के बीच कोई अधिआच्छादन नहीं होगा। किन्हीं आकस्मिकताओं तथा/अथवा प्रणाली सुरक्षा को कोई खतरा होने की स्थिति में, एसएलडीसी किसी भी वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक को अपने नियंत्रण क्षेत्र में अधि आहरण एक निश्चित प्रमात्रा तक घटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देशों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक इन निर्देशों के अनुपालन के शीघ्र पश्चात अनुपालन रिपोर्ट एसएलडीसी को प्रेषित करेंगे ताकि उसे एनआरएलडीसी को अग्रेषित किया जा सके।

(च) एसएलडीसी भिन्न अधि आहरण स्थितियों में वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा अधि आहरण कम करने के लिए आकस्मिकताओं तथा अथवा प्रणाली को खतरे की स्थिति में अधि आहरण की गंभीरता के आधार पर निर्देश देने के क्रम में मानक, तात्कालिक, संदेश प्रारूप तैयार करेगा। संबंधित उपयोगिता एसएलडीसी के इन निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करेगी और अनुपालन रिपोर्ट एसएलडीसी को प्रेषित करेगी।

(छ) सभी उत्पादन केंद्र, वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक एसएलडीसी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लोड शेडिंग अथवा ट्रांसमिशन प्रणाली में संकुलन की स्थिति में उत्पादन बढाने में सहायता करेंगे। वास्तविक समय में संकुलन से राहत क उपायों के साथ साथ संकुलन के आहरण के प्रावधान भी केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन से राहत के उपाय) विनियमावली के अनुसरण में होंगे।

(ज) वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा किए गए उपाय तब तक वापस नहीं लिए जाएंगे जब तक कि फ्रीक्वेंसी निर्धारित सीमाओं से कम रहती है अथवा संकुलन जारी रहता है, जब तक कि एसएलडीसी द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है। उपयोगिता द्वारा प्रदान किए जा रहे लोड के कार्यनीतिक महत्व के कारण एमईएस में स्वचलित लोड शेडिंग शामिल नहीं किया गया है।

10. खंड सं. 22.18 का संशोधन

22.18 उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अपनी संबंधित प्रणालियों में, जहां लागू हैं, स्वचलित अंडर–फ्रीक्वेंसी तथा डीएफ/डीटी रिले/एससीडीए आधारित लोड शेडिंग/आइलैंडिंग स्कीम, फ्रीक्वेंसी में गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ग्रिड विखंडित/गड़बड़ा सकती है, इसको रोकने के लिए, एनआरपीसी के साथ परामर्श में पृथक रूप से अंतिम रूप दी गई योजना उपलब्ध कराएंगे तथा किसी आकस्मिकता की स्थिति में प्रपाती ट्रिपिंग की रोकथाम के लिए इसका प्रभावी रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. खंड सं. 22.23 (i) का संशोधन

प्रत्येक उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अव्यवस्था रिकार्डर/घटना क्रम रिकार्डर आउटपुट इत्यादि सहित सूचना/डेटा एसएलडीसी को किसी ग्रिड गड़बड़ी/घटना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्रेषित करेगा। कोई भी उपयोगकर्ता अथवा ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक राज्य अथवा क्षेत्रीय ग्रिड की विश्वसनीयता और सुरक्षा कायम रखने और किसी भी घटना के विश्लेषण के लिए एसएलडीसी द्वारा अपेक्षित किसी डेटा/सूचना को अवरूद्ध नहीं करेगा।

12. खंड सं. 22.23 (ii) का संशोधन

22.23 (ii) उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक ट्रांसमिशन और सब–ट्रांसमिशन स्तर पर होने वाली सभी प्रमुख ट्रिपिंग्स की विश्लेषण रिपोर्ट घटना होने के तीन कार्यदिवसों के भीतर साझा करेंगे।

13. खंड सं. 22.24 का संशोधन

22.24 एसएलडीसी, उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित प्रचालन दायरे में बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु समस्त संभव प्रयास करेंगे:

वोल्टेज – (केवी आरएमएस)

निर्धारित	अधिकतम	न्यूनतम
400केवी	420	380
220केवी	245	198
66केवी	72	60
33केवी	36	30
11केवी	11.4	10.6

14. खंड सं. 26.2.2 का संशोधन

26.2.2 उपयोगकर्ता, अपनी प्रणाली पर घटना के तत्काल अनुवर्ती, एसएलडीसी को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड घटना का अनुवर्ती प्रचालन प्रभाव महसूस करता है अथवा करेगा, और घटना का विवरण दे सकता है किंतु उसका कारण देने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ताओं (विशेषकर वितरण लाइसेंसधारकों की प्रणाली के बीच) परिचालन एसएलडीसी को सूचना और उसकी सलाह के बिना नहीं किया जाएगा एसएलडीसी वितरण लाइसेंसधारक द्वारा फीडरों के पृथक्करण की तिथि नामित किए जाने या वास्तविक पृथक्करण, जो भी पहले है, इस संबंध में प्रचालन कार्यनीति तैयार करेगा।

26.3 दो वितरण लाइसेंसधारकों के बीच उपयोगकर्ताओं पर परिचालन और घटनाएं।

26.3.1 दो उपयोगकर्ताओं के बीच प्रणाली पर कोई प्रचालन किए जाने से पूर्व, संबंधित उपयोगकर्ता एसएलडीसी को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड घटना का अनुवर्ती प्रचालन प्रभाव महसूस करता है अथवा करेगा, और किए जाने वाले प्रचालन का विस्तृत विवरण दे सकता है।

15. खंड सं. 27.1 का संशोधन

27.1 (i) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अगले वर्ष के लिए अपना प्रस्तावित आउटेज कार्यक्रम एसएलडीसी को प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक लिखित रूप में उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्पादन यूनिट/ट्रांसमिशन लाइन/अंतरसंयोजक ट्रांसफार्मर, जिसके लिए आउटेज की योजना बनाई गई है, आउटेज हेतु कारण, प्रत्येक आउटेज के लिए अधिमानित तिथि और इसकी अवधि और जहां नम्यता है, पूर्वतम प्रारंभ तिथि और अधिकतम समापन तिथि का विवरण शामिल होगा।

27.1 (ii) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अगले माह के लिए अपना प्रस्तावित आउटेज कार्य्रक्रम एसएलडीसी को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक लिखित रूप में उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्पादन यूनिट/ट्रांसमिशन लाइन/अंतरसंयोजक ट्रांसफार्मर, जिसके लिए आउटेज की योजना बनाई गई है, आउटेज हेतु कारण, प्रत्येक आउटेज के लिए अधिमानित तिथि और इसकी अवधि और जहां नम्यता है, पूर्वतम प्रारंभ तिथि और अधिकतम समापन तिथि का विवरण शामिल होगा।

(iii) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक आउटेज योजना संबंधित लाइसेंसधारक की इंटरनेट वेबसाइट में नियत तिथि तक पोस्ट करेंगे।

(iv) उपयोगकर्ता आउटेज योजना इस तरह बनाएंगे कि इसका एसटीयू आउटेज योजना के साथ कोई विरोध नहीं होगा। विरोध की स्थिति में मुद्दा प्रचालन समन्वय समिति में सुलझाया जाएगा।

16. खंड सं. 31.1 का संशोधन

31.1 एसएलडीसी राज्य में उत्पादन केंद्रों और वितरण लाइसेंसधारकों के साथ परामर्श में आयोग के संबद्ध आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के भीतर एबीटी क्षेत्र के अधीन समय निर्धारण तथा प्रेषण हेतु प्रोसेस एवं प्रचालन अनुदेश समाविष्ट करते हुए विस्तृत प्रक्रिया विकसित, प्रलेखित तथा अनुरक्षित करेगा।

प्रक्रिया में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:–

1. राज्य के भीतर एबीटी हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया
2. उपभोक्ता मुक्त अभिगम हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया
3. अंतर डिस्कॉम्स अंतरण (दीर्घावधि) तथा बाह्य द्विपक्षीय अंतर डिस्कॉम्स अंतरण (अल्पावधि) हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया
4. सौर, पवन, बायो गैस इत्यादि के विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए समय निर्धारण प्रक्रिया भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में वर्णित सीईआरसी अनुबद्धताओं के अनुरूप होगी।

17. खंड सं. 33.4 का संशोधन

33.7 एसटीयू मीटरिंग प्रक्रिया तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अवस्थिति और मीटरों का संस्थापन;

(ख) मीटरों के विनिर्देश और सटीकता सीमाएं;

(ग) मीटरों से प्राप्त किए गए डेटा के अभिलेखन, संग्रहण, अंतरण, प्रक्रमण और भंडारण से संबंधित अधिकार, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं;

(घ) मीटरिंग डेटा का स्वामित्व;

(ङ) उपरोक्त सटीकता सीमाओं की समनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंधित एजेंसी द्वारा किए जाने हेतु अंशांकन;

(च) मीटरों को समुचित कार्य करने की हालत में बनाए रखना, मीटरों की सुरक्षा, नए अथवा बदले गए मीटरों की जांच, मीटरों की सीलिंग और मीटरों का निरीक्षण;

(छ) मीटर तक पहुंच का अधिकार;

(ज) मीटर के माप संबंधी अंतरों, दोषपूर्ण उपकरणों तथा मीटर की खराबी को दूर करना;

(झ) मीटरिंग संबंधी मामलों पर विवादों का समाधान के लिए तथा

(ञ) विनिमय बिंदुओं पर संस्थापित सीटी, पीटी एवं ऊर्जा मीटरों की आवधिक जांच हेतु प्रक्रिया – प्रत्येक वर्ष में एक बार;

(ट) एसटीयू अथवा आयोग द्वारा मीटरिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त विचारित कोई अन्य पहलू।

18. खंड सं. 34.3 का संशोधन

34.3 डीजीसी के प्रावधानों तथा/अथवा ऐसे प्रावधानों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं का लगातार अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में, ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी। एसटीयू अनुपालन नहीं किए जाने के ऐसे सभी मामले प्रत्येक तिमाही की 15 तारीख तक (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) प्रकाशित करेगा और उसे आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा।

इन नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच में निहित प्रावधानों से संबंधित किसी भी विसंगतियों के मामले में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

यह विनियमन 20/1/2012 से प्रभाव में आ जाएंगे ।

जयश्री रघुरमन, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2012

Subject : First Amendment to Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008.

No. 17(14)/DERC/2010-11/2720.—In exercise of powers conferred by Sub-section (zp) of Section 181(2) read with Sub-section (h) of Section 86(1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008. As per clause no. 6.3, the review of Delhi Grid Code, the following clauses have been amended and shall be read with the existing Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations 2008 as under;

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) (First Amendment) Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Clause no. 8.1

The STU shall publish on its Internet website the transmission and sub transmission system plan for the STS and shall also make the same available to any person upon request at a reasonable cost.

The STU & Distribution Licensees shall also publish their Transmission & Sub transmission network and Single Line Diagram (SLD) of each grid station on internet website.

It shall specifically mention planning of load flow in circuits between two DISCOMs. This shall also be included in the report from STU to the Commission (performance report - refer para 3 of 8.2) and the yearly data shall be updated by STU in its website.